छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   षोडश सत्र   अंक-13

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023

(चैत्र 1, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

मानतीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आज हिन्दू नववर्ष का प्रथम दिन है । चैत्र नवरात्रि भी आज आरंभ हो रही है । साथ ही गुड़ी पड़वा भी है । मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ-साथ आप सभी को हिन्दू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

इस शुभ अवसर पर सभी की खुशहाली की कामना करता हूं ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती ममता चन्द्राकर, अनुपस्थित रहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, द्वारा उपस्थित होने के बाद भी अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-3-11/आठ-परि./2022, दिनांक 25 अगस्त, 2022,

पटल पर रखा।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

डॉ.रमन सिंह, सदस्य द्वारा प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

इस संबंध में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, रजनीश कुमार सिंह, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैंने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.26 बजे स्थगित की जाकर 12.37 बजे, समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138

(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड डोंगरगढ़ के गातापार एनीकट निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् भी निविदा प्रक्रिया नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने छुईखदान-उदयपुर-दनिया रोड की जमीन अधिग्रहण से प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य ने रायपुर जिले में संचालित एवं स्वीकृत छात्रगृह आवास योजना का किराया लंबित होने के संबंध में आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चंदन कश्यप

(2) श्री शैलेष पाण्डेय

(3) श्री शिवरतन शर्मा

(4) श्री बघेल लखेश्वर

(5) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

8. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-4 पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि मैंने, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

1. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)
2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)
3. छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)
4. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)

की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है ।

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई ।

(1) छत्तीसगढ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पुर: स्थापित किया जाए।

माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री धरमलाल कौशिक ने आसंदी से अनुरोध किया कि नियमों को शिथिल करते हुए विधेयकों के पुर:स्थापन एवं विचार की अनुमति क्यों दी जा रही है ? हमें इसमें संशोधन देना है । जबकि सभा के दो कार्यदिवस अभी शेष हैं । इसके अतिरिक्त आज की कार्यसूची में अंकित मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, जो कि मूल विधेयक है, उक्त विधेयक के अध्ययन हेतु आज चर्चा न कराये जाने हेतु माननीय सभापति से व्यवस्था देने की मांग की ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पुर:स्थापित किया ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1. छत्तीसगढ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) — **15 मिनट**

2.	छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023)	1 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)	30 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)	1 घंटा
6.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)	30 मिनट

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान दी गई।)

10.सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हाल में माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र लिया जाना है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समूह छायाचित्र हेतु सेंटल हाल में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(अन्तराल 1.57 से 3.00 बजे तक)

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति की कि इस विधेयक में क्या है, कैसा है, और क्यों लाये हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पूरा विधेयक अधूरा है । इसके उद्देश्यों के औचित्य में इसका उल्लेख नहीं है, इसके संबंध

में मालूम नहीं है तो बहस कैसे करेंगे ? इसमें आर्थिक उपबंध नहीं लगाया गया है । यह इसमें लगना चाहिए । 128 ग के स्थान पर 128 क है और 128 क का कहीं उल्लेख नहीं है । इसलिए इसको फिर से प्रस्तुत करवाएं ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह

माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के द्वारा प्रयुक्त भाषा पर आपत्ति की गई ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने इस पर खेद व्यक्त किया ।

माननीय अध्यक्ष ने श्री बृजमोहन अग्रवाल की आपत्ति पर कथन किया कि मूल विधेयक में क्या है इसको भी भविष्य में उपलब्ध करवाएं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह, पुन्नूलाल मोहले

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023)

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री सौरभ सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने सर्वानुमति से पारित करने का आग्रह किया ।

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने आसंदी से सर्वानुमति से पारित किये जाने का अनुरोध किया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस, सिंहदेव वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(सभापति महोदय (श्री सौरभ सिंह) पीठासीन हुए।)

(10) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)

श्री टी.एस, सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय,

श्री टी.एस, सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस, सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(11) छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने हेतु अनुरोध किया । इस संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने भी कथन किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की तथा कथन किया कि इसे प्रवर समिति में भेजने का औचित्य नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधेयक की महत्ता को देखते हुए नियमों को शिथिल कर मैंने आज ही विचार करने की अनुमति प्रदान की है । माननीय सदस्य द्वारा विचाराधीन विधेयक को प्रवर समिति में सौंपे जाने के संबंध में जो प्रस्तावकर्त्ता सदस्य के विचार, संसदीय कार्य मंत्री के विचार और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात् मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं समझता। तद्नुसार प्रवर समिति को सौंपने की आपत्ति व प्रस्ताव को अमान्य करता हूं । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 23 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने पर पूरे सदन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया ।

(12) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्मलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2023 (चैत्र 2 शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा